

दैनिक

रोकथोक लेखनी

खबरें बे-रोकथोक

मनपा कचरा टैक्स वसूलेगी...



Page - 3

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार से पहले बीजेपी ने शिंदे को ऑफर की बड़ी मिनिस्ट्री!

होम पर अड़े पूर्व सीएम लेंगे यह विभाग?

महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार 15 दिसंबर को होगा



मुंबई: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल कल यानी 15 दिसंबर की शाम को विस्तार होगा। राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन शाम चार बजे करीब 35 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण से पहले एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इसमें कहा गया है कि बीजेपी की शिवसेना और एनसीपी के साथ मंत्रियों की संख्या और विभागों को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी में कहा गया है कि बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गृह विभाग की जगह पर गृह निर्माण यानी हाउसिंग मिनिस्ट्री दी जा सकती है। सूत्रों की मानें तो

इस पर सहमति हो गई है। शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना पावर शेयरिंग में गृह विभाग की मांग कर रही थी। सूत्रों के अनुसार गृह विभाग देवेंद्र फडणवीस अपने पास ही रखेंगे। पहले कार्यकाल में उन्होंने यह विभाग अपने पास रखा था। तब शिंदे शिवसेना के कोट से राजस्व मंत्री बने थे।

अभी तक बीजेपी के पास था विभाग

महायुति के पहले कार्यकाल में यह विभाग बीजेपी के पास था। 2024 में फिर से जीतकर आए अतुल सावे हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। इसके पहले कुछ समय के लिए यह विभाग देवेंद्र फडणवीस

और कुछ समय के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास रहा था। उद्धव ठाकरे जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तब यह विभाग एनसीपी के पास रहा था। एनसीपी नेता जयंत पाटील और फिर बाद में जितेंद्र अह्वाण को यह विभाग मिला था।

मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई

नाइजीरियाई नागरिकों के खिलाफ चलाया अभियान, इस वजह से देश छोड़ने का दिया नोटिस

मुंबई: मुंबई में क्राइम की संख्या बढ़ती जा रही है। इस पर ब्रेक लगाने के लिए और मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक खास अभियान चलाया है। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने अवैध रूप से रह रहे और आपराधिक गतिविधियों में शामिल नाइजीरियाई नागरिकों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत मुंबई पुलिस ने ड्रस, फर्जी पासपोर्ट और बिना वीजा के रहने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस अभियान में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 13 लोगों को ड्रग के कारोबार में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले और बिना वीजा के रहने वाले लोगों पर कार्रवाई की। क्राइम ब्रांच ने 3



लोगों को फर्जी पासपोर्ट रखने या बिना वीजा के रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 73 लोगों को जिनके पासपोर्ट या वीजा की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें तुरंत देश छोड़ने का नोटिस भी दिया गया है।

एसीपी भाऊसाहेब ढोले ने दी जानकारी

नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के एसीपी भाऊसाहेब ढोले ने ये जानकारी देते हुए इस जांच अभियान के दौरान पुलिस ने अब तक इनके पास से

करीब 12 करोड़ रुपये की ड्रस जब्त की है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, हूनवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय के कुल 150 पुलिस अधिकारियों और प्रवर्तकों ने इस अभियान में भाग लिया। उन्होंने आयुक्तालय की सीमा के भीतर कुल 25 स्थानों पर छापेमारी की और 2 किलो 45 ग्राम कोकीन (लगभग 10.22 करोड़ रुपये की कीमत), 663 ग्राम एमडी पाउडर (लगभग 1.48 करोड़ रुपये की कीमत), 58 ग्राम मेथिलीन (लगभग 11.60 लाख रुपये की कीमत), 23 ग्राम चरस (लगभग 3.45 लाख रुपये की कीमत), 31 ग्राम गांजा (लगभग 6 हजार रुपये की कीमत) जब्त किया है।

टाणे में कुत्ते के काटने से एक व्यक्ति की मौत, डॉक्टर ने बचाव के लिए लोगों से की ये अपील



टाणे : जिले में एक आवारा कुत्ता और बिल्ली के काटने से स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण 27 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। कल्याणनिवासी भगवान मांडलिक की गुरुवार शाम मुंबई के

एक अस्पताल में तबीयत बिगड़ने के बाद मृत्यु हो गई। मांडलिक के परिवार के अनुसार, दो महीने पहले गोल्लडन पार्क क्षेत्र में टहलते समय उसे एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था और उसके कुछ दिनों बाद एक बिल्ली ने भी काट लिया था।

एक अस्पताल में तबीयत बिगड़ने के बाद मृत्यु हो गई। मांडलिक के परिवार के अनुसार, दो महीने पहले गोल्लडन पार्क क्षेत्र में टहलते समय उसे एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था और उसके कुछ दिनों बाद एक बिल्ली ने भी काट लिया था।

नगर निकाय के अधिकारियों ने एक विज्ञप्ति में कहा कि मांडलिक ने दोनों घटनाओं के बाद रेबीज का टीका नहीं लगवाया था। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह की शुरूआत में उसे सिरदर्द, शरीर में दर्द और गले में सूखापन जैसे लक्षण महसूस हुए थे।

कुर्ला बस हादसे के बाद मनपा ने लिया एक्शन बेस्ट बस स्टेशन के पास से हटाए फेरीवाले

मुंबई: कुर्ला बस हादसे में 7 लोगों की जान जाने के बाद महानगर पालिका हरकत में आते दिखाई पड़ रही है, कुर्ला बेस्ट में महानगर पालिका ने सख्त कार्यवाई करते हुए स्टेशन के पास 150 मीटर तक फेरीवालों को हटा दिया है। इस मामले पर अधिकारियों का कहना है कि हम तो इन पर अक्सर कार्रवाई करते रहते हैं। जबकि लोगों का कहना है कि यह केवल कुछ दिनों के लिए है कुछ दिन बाद फिर ये लोग यहीं बैठ जायेंगे। हादसे के पहले तक स्टेशन रोड सड़क पर दोनों तरफ वर्षों से फेरीवाले कब्जा जमाए हुए थे, जिस वजह से बेस्ट बसों के आवागमन पर



भी काफी तकलीफें आती थी। हादसे के बाद फेरीवालों को हटाना शेरिंग ऑटो स्टैंड और अन्य वाहनों के आने-जाने से पूरी सड़क जाम हो जाती थी। स्टेशन के पास बड़ी संख्या में अवैध ऑटो स्टैंड भी है, बगल में ही स्कूल है, जिससे लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो गया था। मसले को लेकर कई बार

महानगरपालिका से शिकायतें की गई थी लेकिन, कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकाल रहा था। लेकिन बस हादसे में सात लोगों की जान जाने के बाद महानगरपालिका ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल फेरीवालों को हटा दिया है। 150 मीटर का रास्ता खाली रखें इस मामले पर अनुराग त्रिपाठी एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, फेरीवाला

मुंबई: ईपीएफओ अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज

मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में कार्यरत एक लेखा अधिकारी के खिलाफ कथित तौर पर अपनी और अपनी पत्नी की आय के ज्ञात स्रोतों से ₹125.44 लाख अधिक की संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। एजेंसी तमिलनाडु में कार्यरत आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत जांच कर रही है। सीबीआई की जांच के दायरे में जनवरी 2014 और दिसंबर 2021 की जांच अवधि के दौरान वह पुणे में ईएफपीओ में कार्यरत था। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि ईपीएफओ के दिल्ली स्थित मुख्यालय



से प्राप्त शिकायत के आधार पर सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की। शिकायत के अनुसार, आरोपी अधिकारी के खिलाफ की गई ईपीएफओ की आंतरिक जांच में उसकी पत्नी के बैंक खाते में कुछ सदिग्ध लेन-देन का पता चला। आरोपी ने इन लेन-देन के लिए एक औचित्य प्रस्तुत किया, लेकिन जिन स्रोतों से उसके खाते में धन प्राप्त हुआ, वे सदिग्ध प्रतीत हुए।



संपादकीय...



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

मांग और आपूर्ति में विसंगति

देश के शहरों में किरायायती आवास की स्थिति बदतर होती जा रही है। हाल के वर्षों में किरायायती श्रेणी के मकानों की मांग काफी कम हुई है क्योंकि इनका संभावित खरीदार वर्ग महामारी से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसके अलावा आवास ऋण की ब्याज दरों और आवासीय कीमतों में भारी इजाफे ने भी कम आय वाले परिवारों के लिए हालात मुश्किल बना दिए हैं। यही वजह है कि किरायायती आवास की बिक्री में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय कमी आई है।

महामारी के कारण व्याप्त निराशा और निर्माण तथा श्रमिकों की बढ़ती लागत ने अचल संपत्ति डेवलपर्स को विवश किया कि वे अपना ध्यान किरायायती मकानों से दूर प्रीमियम और लक्जरी श्रेणी के मकानों पर लगाएं। इन कारणों से मांग और आपूर्ति का अंतर उत्पन्न हो गया है जो किरायायती आवासीय इकाइयों को प्रभावित कर रहा है। नाइट फ्रैंक और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया गया एक हालिया अध्ययन बताता है कि यह समस्या वास्तव में कितनी विकट है। अध्ययन दिखाता है कि 2030 तक देश में 3.12 करोड़ किरायायती मकानों की कमी हो जाएगी। एक करोड़ से अधिक मकानों की कमी पहले ही बनी हुई है। यह इस बात की ओर भी संकेत करता है कि किरायायती श्रेणी के मकानों की बिक्री कम हुई है। वर्ष 2018 में जहां देश के आठ प्रमुख शहरों में सभी आवासों की बिक्री में 54 फीसदी किरायायती श्रेणी में थे, वहीं 2024 में यह हिस्सेदारी कम होकर 26 फीसदी रह गई। बढ़ते शहरीकरण, आय के स्तर में बेहतर और अर्थव्यवस्था के औपचारिक होने जैसे सकारात्मक घटनाक्रम के बावजूद ऐसा हो रहा है।

जबकि ये कारण आवास बाजार को मजबूत बनाने वाले हैं। देश में किरायायती आवास की अपर्याप्त आपूर्ति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में किरायायती श्रेणी के आवास की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है जिसने समस्या को और गंभीर बना दिया है। उदाहरण के लिए अध्ययन बताते हैं कि 2019 और 2024 के बीच मुंबई महानगर क्षेत्र में 30 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाली आवासीय इकाइयों की औसत लॉन्च कीमत आठ फीसदी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) की दर से बढ़ी, जबकि 60 से 160 वर्ग मीटर वाली आवासीय इकाइयों की कीमतों में 4.4 फीसदी सीएजीआर की दर से इजाफा हुआ। परियोजनाओं का वित्तीय दृष्टि से अव्यावहारिक होना, किरायायती जमीन की उपलब्धता की कमी और डेवलपर्स एवं संभावित खरीदार दोनों की ऋण पर अत्यधिक निर्भरता भी बाधा है।

editor@rookthoklekhani.com

+91 8657861004

Faisal Shaikh @faisalrookthok



Watch Us On



youtube@rookthoklekhani

LIKE



SHARE



COMMENT



SUBSCRIBE



महाराष्ट्र अगले पांच वर्षों के भीतर भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अच्छा योगदान देगा - फडणवीस

मुंबई : मुंबई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने "शोषण आधारित विकास" के पश्चिमी मॉडल की तुलना में "गति, पारदर्शिता और समावेशिता को समाहित करने वाले" "हिंदू विकास मॉडल" को अपनाया है। फडणवीस ने कहा कि हिंदू विकास मॉडल के कारण भारत आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और आने वाले वर्षों में यह बाकी दुनिया को रास्ता दिखाएगा, जिसमें महाराष्ट्र रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाएगा और मुंबई देश की फिनटेक राजधानी होगी। अपने नेतृत्व में नवगठित महायुक्ति सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र



अगले पांच वर्षों के भीतर 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बनकर भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अच्छा योगदान देगा।

मुख्यमंत्री बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में विश्व हिंदू आर्थिक मंच (डब्ल्यूएचईएफ) के तीन दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। WHEF के संस्थापक और वैश्विक अध्यक्ष स्वामी विज्ञानानंद और संगठन के

अन्य पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। पुष्पा 2 स्क्रॉनिंग घटना पर नवीनतम अपडेट देखें! अधिक जानकारी और नवीनतम समाचारों के लिए, उन्होंने हिंदू विकास मॉडल के बीच अंतर किया जिसमें गति, पारदर्शिता और समावेशिता शामिल है और विकास का पश्चिमी मॉडल जो 'सबसे योग्य की उत्तरजीविता' पर आधारित है। उन्होंने कहा, "हमारा हिंदू लोकाचार कहता है कि जो भी पैदा हुआ है वह जीवित रहेगा और समाज को यह सुनिश्चित करना होगा,"

भिवंडी में संविधान अमृत महोत्सव कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम संपन्न।



मुस्तकीम खान

भिवंडी : निशांत एज्युकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज गणेश सोसायटी स्थित रोटरी क्लब आफ भिवंडी सेंटर द्वारा संविधान अमृत महोत्सव कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस अवसर पर भिवंडी न्यायालय के अधिवक्ता बेकटेश चिट्टीमल्ले 'संविधान अमृत महोत्सव' के बारे में छात्र-छात्राओं को विस्तार से जानकारी दी, इस अवसर पर संविधान का महत्व विषय पर एक परिचर्चा छात्रों के साथ की, इस मौके पर उपस्थित कैरियर मार्गदर्शन प्रो, सतीश भोजाने ने कामर्स तथा सायंस के छात्रों को मार्गदर्शन करते हुए कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारत ने संविधान को अंगीकार किया गया था। तब से लेकर अब तक 75 साल हो गए। इस उपलक्ष्य में संविधान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाता है और हम संविधान के बारे में स्कूली छात्रों के दिल में उतारना चाहते हैं, कि हमारा संविधान क्या क्या इजाजत देता है, उन्होंने कहा कि संविधान दिवस हमें याद दिलाता है कि संविधान अमृत दिवस केवल एक उत्सव ही नहीं, बल्कि यह हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों और उनके

महत्व को पुनः स्थापित करने का एक उपयुक्त अवसर भी है। यह हमें स्वतंत्रता की रक्षा, समाज में समरसता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अनुच्छेद 38 और 39 राज्यों को निर्देश देते हैं कि आर्थिक असमानताओं को कम करें, और सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करें। और कहा कि भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज और नैतिक आधारशिला है। यह संविधान लोकतंत्र की आत्मा और स्वतंत्रता की मूरत है। आज पूरा देश संविधान के 75 साल होने के उपलक्ष्य में संविधान अमृत महोत्सव मना रहा है यहीं आने वाली पीढ़ियों में जागरूकता पैदा करेगी। स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल के प्राचार्य एल यू पाल ने कहा संविधान का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। संविधान की रक्षा देश की रक्षा है। उन्होंने कहा कि कानून का पालन करें, जिंदगी आसान बनाएं, जो कानून का उल्लंघन करते हैं, वे खुद का नुकसान करते हैं। इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब के अध्यक्ष श्री अजय नायक, संस्था सचिव रामनाथ जे गुप्ता तथा निशांत आर गुप्ता के अन्सारी नाजरीन, घाडगे वैशाली, शेख गुलाब, चौधरी जेबा मंडम शिक्षक तथा विद्यार्थी उपस्थित थे।

भिवंडी में कंपनी मालिक सहित दो बेटों पर एट्रॉसिटी के तहत केस दर्ज स्थानीय रहवासी को जातिवादी गाली-गलौज देकर की गई थी मारपीट।



मुस्तकीम खान

भिवंडी: घोलगांव सोनाले रहवासी अल्पेश बबन खांडवी, ने एक कंपनी मालिक और उसके दो पुत्र पर मारपीट गाली गलौज व जातिवाजक का मामला तालूका पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया है। मिली जानकारी के अनुसार अल्पेश ने तालूका पुलिस में मामला दर्ज कराकर कसूरवारों पर कार्रवाई की मांग की है। दिनांक 29/09/2024 को शाम करीब 04.30 बजे जब अल्पेश बबन खांडवी टेम्पो से वापस घर आ रहे थे उस समय रास्ते में बड़े भाई वैभव खांडवी और चचेरा भाई संदीप खांडवी मोटरसाइकिल से चॉकलेट कंपनी के पास मुलाकात हो गई। रास्ते पर चॉकलेट कंपनी का ट्रक खड़ा था, इसलिए हमने अपनी गाड़ियाँ रोड के किनारे रोक दीं, और मेरे भाई

वैभव ने चॉकलेट कंपनी के मालिक के बेटे हितेश कुकरेजा से कहा गाड़ी को रास्ते से हटाओ किनारे कर दो, तभी हितेश कुकरेजा ने मेरा कॉलर पकड़ लिया और मुझे गालियां दीं और मुझको से पीटना शुरू कर दिया, तभी हितेश कुकरेजा के पिता नरेश कुकरेजा और उनका दूसरा बेटा जिसका नाम पता नहीं है, वहां आए और हमसे बोले, 'तुम आदिवासी लोग निचली जाति के हो, हम यहां के 'शेट है।' 'यहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उसने मुझे जातिगत रूप से अपमानित किया और मुझे मुझको से पीटा, और निचे धक्का मार दिया और मैं गिर गया फिर भी उसकी गरमी कम नहीं हुई और गिरने के बाद भी मुझे मारता रहा, जिससे मैं बुरी तरह घायल हो गया, मेरी दाहिनी आंख के नीचे, माथे पर और दाहिनी कलाई पर चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भिवंडी तालूका पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया, लेकिन कंपनी मालिक केस वापस लेने के लिए हमारे उपर दबाव बना रहा है, डर से मैं अपने घर छुप-छुप कर जाता हूँ, अल्पेश बबन खांडवी ने मुख्यमंत्री व राजपाल सहित पुलिस के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है।



मुंबई डोंगरी में त्वरित कार्रवाई के कारण बड़ा हादसा टल गया



मुंबई : मुंबई डोंगरी में किराएदारों की त्वरित कार्रवाई के कारण एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि उन्होंने गुरुवार सुबह पांच मंजिला इमारत के ढहने से पहले ही उसे खाली कर दिया। नूर विला, जिसे हुसैनी बाई के नाम से भी जाना जाता है, 40 साल से भी पुरानी इमारत है, जो रात 12:06 बजे ढह गई। बुधवार को समय पर खाली कराए जाने के कारण किसी के घायल होने या हाताहत होने की खबर नहीं है। इमारत में 26 किराएदार और एक मकान मालिक रहते थे, और इमारत खाली करने का सक्रिय निर्णय जीवन रक्षक साबित हुआ। समय पर खाली कराए जाने से डोंगरी इमारत ढहने से हादसा टल गया बी वार्ड के एक नागरिक अधिकारी ने "इमारत को जीर्ण-शीर्ण घोषित नहीं किया गया था, लेकिन कंपनी महसूस होने पर किराएदारों ने खुद ही इमारत खाली करने की पहल की। यह एक निजी, गैर-सेसड इमारत थी, जिसमें 180-200 वर्ग फीट के कमरे थे।

तत्काल की गई कार्रवाई गिरने के बाद, एहतियात के तौर पर पड़ोसी इमारतों 32/33 तंतनपुरा और 103/106 जेबी शाह मार्ग को भी खाली करा लिया गया। "जब कोई इमारत गिरती है, तो मलबा आस-पास की संरचनाओं की संरचनात्मक स्थिरता को प्रभावित करता है। दोनों पड़ोसी इमारतें म्हाडा की संपत्ति हैं। बीएमसी वर्तमान में जनता के लिए लेन को फिर से खोलने के लिए मलबा साफ कर रही है," नागरिक अधिकारी ने कहा।

मुंब्रा बायपास पर ट्रक हादसा !



ठाणे : मुंब्रा बायपास पर शुक्रवार तड़के हुए सड़क हादसे में ट्रक चालक रियाज अहमद (48) घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब ट्रक चालक का वाहन पर से नियंत्रण छूट गया और ट्रक सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर से टकरा गया। इस दुर्घटना में चालक के सिर और पैर में मामूली चोटें आई हैं, जबकि ट्रक के अगले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद रियाज ट्रक के अंदर फंसे हुए थे। सूचना मिलते ही पुलिस, ठाणे मनपा की आपदा प्रबंधन टीम और फायर ब्रिगेड के जवान मौके पर पहुंचे और उन्हें ट्रक से बाहर निकाला। इस दुर्घटना के कारण मुंब्रा बायपास पर कुछ समय के लिए यातायात जाम हो गया था। आपदा प्रबंधन टीम ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटाकर यातायात को फिर से सुचारू किया। मुंब्रा बायपास से प्रतिदिन हजारों भारी वाहन गुजरते हैं, जो उरण, जेएनपीटी, रायगढ़ और गुजरात की ओर सामान लेकर जाते हैं। ऐसे में इस मार्ग पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। अधिकारियों द्वारा इस मार्ग पर सुरक्षा उपायों को और अधिक सख्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है।

ठाणे : क्रूरता के आधार पर अपनी अलग रह रही पत्नी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया; तलाक

ठाणे : जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने ठाणे के एक व्यक्ति को तलाक दे दिया, जिसने क्रूरता के आधार पर अपनी अलग रह रही पत्नी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। डिफ्री पारित करते हुए, अदालत ने माना कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ रहने के कई प्रयास करने के बावजूद, वह न तो अपने ससुराल लौटी और न ही अदालत द्वारा भेजे गए कई नोटिसों का जवाब दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा: "याचिकाकर्ता के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रतिवादी ने उसे ब्लैकमेल करके उससे शादी की और शादी के बाद उसके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से बुरा व्यवहार किया। यह भी प्रतीत होता है कि पत्नी ने अगस्त 2020 में अपनी मर्जी से अपने पति को छोड़ दिया। उसके द्वारा कई प्रयासों के बावजूद, पत्नी कभी वापस नहीं लौटी।

इसलिए, पति ने साबित कर दिया है कि याचिका प्रस्तुत करने से ठीक पहले पत्नी ने उसे कम से कम दो साल की निरंतर अवधि के लिए छोड़ दिया था, और पत्नी ने उसके साथ क्रूरता से व्यवहार किया है। इसलिए, वह तलाक के आदेश का हकदार है।" तलाक की याचिका के अनुसार, अब अलग हो चुके इस जोड़े की



शादी 2015 में कोलकाता में हुई थी। याचिका में, पति, जो उस समय 29 वर्ष का था, ने दावा किया कि पत्नी, जो उस समय 25 वर्ष की थी, ने विवाह से पहले ही उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। एक अवसर पर, पत्नी ने उसे "पागल" कहकर अपने भाइयों के सामने अपमानित किया।

"उसके अड्डियल व्यवहार के कारण, पति ने उसके भाई को बताया

कि उसे शादी अच्छी नहीं लग रही है और वह शादी रद्द करना चाहता है, लेकिन उसने उसे धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह आत्महत्या कर लेगी। इस प्रकार, उसने जबरन अरेंज मैरिज कर ली," याचिका में लिखा है। शिकायतकर्ता पति ने आगे दावा किया कि शादी के बाद मामला और बिगड़ गया, क्योंकि पत्नी ने उसे गाली देना और रसोई के बर्तनों से मारना शुरू कर दिया। इस व्यवहार और इस तथ्य को देखते हुए कि उसने उसके साथ रहना बंद कर दिया, पति ने मई 2024 में अपनी पत्नी से अलग होने की मांग करते हुए तलाक की याचिका दायर की।

भिवंडी/ अवैध स्कूल पर शिक्षा विभाग का शिकंजा, व्यवस्थापक के खिलाफ केस दर्ज...

भिवंडी : भिवंडी के मोठपाड़ा क्षेत्र में शिक्षा विभाग की सख्ती ने एक अवैध स्कूल की पोल खोल दी। बिना अनुमति के स्कूल संचालित करने वाले व्यवस्थापक पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शेलार गांव के निवासी धर्मेन्द्र लालचंद्र भारती पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षा विभाग से मंजूरी लिए बिना ही खोणी गांव के मोठपाड़ा इलाके में स्कूल शुरू कर रखा था। घर के पहले मंजिल पर चल रहे इस स्कूल को शिक्षा विभाग ने अवैध घोषित किया था। विभाग ने भारती को



स्कूल बंद करने के लिए नोटिस भी जारी किया था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर स्कूल चालू रखा। शिक्षा विभाग के अधिकारी संजय लक्ष्मण आस्वले की शिकायत पर निजामपुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 318 (4) और बालकों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 (1) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस उप-निरीक्षक जी.एस. मुसले इस मामले की जांच कर रहे हैं।

मुंबई की जनता पर एक और बोझ डालने की तैयारी

मुंबई : मनपा प्रशासन अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अब मुंबई के आम नागरिकों पर एक और बोझ डालने की तैयारी कर रही है। मनपा मुंबई के लोगों से कचरा निर्मूलन टैक्स वसूलने की तैयारी की है। मनपा घरों के अथवा दुकानों सहित व्यवसायिक गालों पर उनके क्षेत्रफल के अनुसार टैक्स वसूलने का निर्णय लिया है। कचरा शुल्क न्यूनतम 100 रुपए से शुरू होकर एक हजार रुपए तक लगाया जाएगा।

मनपा प्रशासन ने लोगों से कचरा टैक्स वसूलने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव मनपा आयुक्त के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। मनपा आयुक्त की मंजूरी मिलने के बाद लोगों से सुझाव आदि लेकर राज्य के नगर विकास विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मनपा अभी सिर्फ व्यावसायिकों से कचरा शुल्क ले रही है। मनपा लोगों के



घर घर से कचरा उठाने और उसका निपटान करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर डंपिंग ग्राउंड तक ले जाती है। मुंबई में ऐसी हालत हो गई है कि कचरा रखने के लिए डंपिंग ग्राउंड भी नहीं बचे हैं। मनपा अभी मुंबई भर से जमा हुए कचरे को कांजूर डंपिंग और देवनार डंपिंग ग्राउंड पर रखती है। कांजूर डंपिंग ग्राउंड पर कचरे से खाद बनाने का काम किया जा रहा है, जबकि देवनार पर रखा कचरा इतना अधिक हो गया है कि इस डंपिंग

ग्राउंड को भी बंद करने की नौबत आ गई है।

2019-20 के बजट में कचरे पर टैक्स लगाने की योजना थी

देवनार डंपिंग ग्राउंड पर कचरे से बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट भी अभी तक नहीं शुरू हो पाया है। मनपा 2019-20 से कचरा पर टैक्स लगाने का अपने बजट में कह रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के विरोध के चलते वसूल नहीं कर पाई है। मनपा अब कचरे पर टैक्स

लगाने का निर्णय फिर एक बार लिया है, जिसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। मनपा अब प्रत्येक सोसायटी से कचरा टैक्स वसूलने का निर्णय लिया है। मनपा ने 500 वर्गफुट तक के घरों से 100 रुपए तथा 500 से 3 हजार वर्गफुट से बड़े घरों से 500 रुपए और तीन हजार से बड़े वर्गफुट से 1 हजार रुपए शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है।

मनपा ने प्रस्ताव तैयार कर मनपा अतिरिक्त आयुक्त से मंजूरी लेकर आयुक्त के पास मंजूरी के लिए भेजा है। आयुक्त की मंजूरी मिलने के बाद लोगों से सुझाव आदि लेकर राज्य के नगर विकास विभाग के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। नगर विकास की मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव अमल में लाया जाएगा। कचरा टैक्स यह प्रॉपर्टी टैक्स के साथ में ही लिया जाएगा। हर छह में शुल्क एक बार लिया जाएगा।

मुंबई :पार्किंग लॉट अटेंडेंट की तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से मौत

मुंबई : मुंबई बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की एक सुविधा में कार्यरत 44 वर्षीय पार्किंग लॉट अटेंडेंट की एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से मौत हो गई और वह वाहन और दीवार के बीच कुचल गया। बीकेसी में तेज रफ्तार कार ने बीएमसी पार्किंग लॉट अटेंडेंट को कुचला बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) पुलिस ने मृतक की पहचान विजय बनारसीलाल शुक्ला के रूप में की है। शुक्ला अपने सहकर्मी 32 वर्षीय राहुल सिंह के साथ काम करते थे और उनके साथ रहते थे, जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी भी थे। सिंह ने पुलिस को बताया कि बीएमसी की पे-एंड-पार्क सुविधा में अटेंडेंट का प्रबंधन करने वाली ओम साई सिद्धि कंपनी में कार्यरत दोनों व्यक्ति गुरुवार को सुबह 8 बजे ड्यूटी



पर आए थे। पुलिस के अनुसार, यह घटना एमएमआरडीए क्षेत्र के पास इनसिग्निफा बिल्डिंग में पार्किंग लॉट के प्रवेश बिंदु के पास शाम करीब 7:45 बजे हुई। दोनों व्यक्ति कुर्सियों पर बैठे थे, तभी लाल रंग की मारुति स्विफ्ट, जिसका पंजीकरण नंबर एमएच 02 जीबी 1761 था, उनकी ओर तेजी से आई। तेज रफ्तार कार ने शुक्ला को टक्कर मार दी, जिससे वह दीवार से जा टकराए और उनके पेट और सीने में गंभीर चोटें आईं।



मुंबई के दादर में हनुमान मंदिर को नोटिस का मामला

पूर्व सीएम ठाकरे ने मंदिर को नोटिस पर उठाए सवाल

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कारारी हार के बाद मुद्दे की तलाश कर रहे शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे दादर हनुमान मंदिर को लेकर आक्रामक हो गए हैं। करीब 80 साल पुराने मंदिर को नोटिस दिए जाने पर शुक्रवार को उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में प्रेस कांफ्रेंस करके हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने पूछा कि बीजेपी कहां से यह नोटिस लेकर आई है? उद्धव ठाकरे ने पूछा यह कैसे हिंदुत्व है? दादर के इस मंदिर को रेलवे की तरफ से नोटिस दी गई है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि बीजेपी ने पहले एक हैं तो सेफ हैं कहकर वोट लिए। अब हिंदू मंदिर तो तोड़ने के लिए नोटिस। उद्धव ने सवाल किया कि सिडको मंदिर की जमीन कब्जा

कर उसे किसको सौंपना चाहती है? **रेलवे के नोटिस में क्या है?**
4 दिसंबर को मध्य रेलवे द्वारा मंदिर के ट्रस्टियों और पुजारी को जारी इस नोटिस में मंदिर को अवैध कब्जा बताते हुए सात दिन के भीतर हटाने को कहा गया है। रेलवे ने अपने नोटिस में कहा है कि मंदिर के अवैध कब्जे से वहां यातयात में बाधा उत्पन्न होती है और दादर स्टेशन पर रेलवे द्वारा जारी विकास कार्यों में भी अड़चन आ रही है। रेलवे ने अपने नोटिस में चेतावनी दी है कि अगर सात दिन के भीतर मंदिर हटाकर शांतिपूर्ण तरीके से अगर जमीन रेलवे के सुपुर्द नहीं की



गई तो रेलवे बलपूर्वक जमीन खाली कराएगी। उद्धव ठाकरे ने रेलवे के इस नोटिस को मंदिर तोड़ने का फतवा करार देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी से पूछा है कि क्या यही उनका हिंदुत्व है? उन्होंने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व एक झूठ है। बीजेपी सिर्फ वोट के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती। उसकी असली राजनीति तो तोड़फोड़ की है और वह अपनी सत्ता का विस्तार करने के लिए हिंदुओं का यूज कर रही है। उद्धव ठाकरे की प्रेस कांफ्रेंस के बाद बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर

बावनकुले ने इसका जवाब दिया। बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोलने का न तो कोई अधिकार है और न ही उनकी लायकी है। दादर हनुमान मंदिर को नोटिस दिए जाने के मामले के राजनीतिक रंग लेने के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी मैदान में आ गया है। सोमैया ने महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले के बयान के दे रात नौ बजे एक्स पर लिखा कि उन्हें रेलवे ऑथरिटी ने आश्वस्त किया है कि वे डिमोलिशन नोटिस की समीक्षा करेंगे। सोमैया ने कहा मुझे उम्मीद है कि इसे वापस लिया जाएगा। सोमैया ने आगे लिखा कि दशकों पुराने हनुमान मंदिर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता।

नागपुर एयरपोर्ट पर पटाखों से भरा पार्सल जब्त...!

नागपुर : एयरपोर्ट पर लदान से पहले पटाखों से भरा एक पार्सल जब्त कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि मुंबई में डिलीवर किए जाने वाले पटाखों से भरे एक पार्सल का पता चला, जिसे समय रहते डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जब्त कर लिया गया। जानकारी के अनुसार जब पार्सल की जांच हो रही थी, तब एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन में काम करने वाले एक कर्मचारी ने पार्सल को संदिग्ध पाया और उसे फर्श पर रख दिया। फिर उसमें से धुआं निकलने लगा, तो पुलिस को सूचना दी गई। इसके साथ ही इस मामले में एक अधिकारी ने बताया कि सोनेगांव पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पार्सल को जब्त कर



लिया, जिसमें बंदरों को भगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पटाखे थे। उन्होंने बताया कि इस पार्सल को वाशिम की एक महिला ने कूरियर कंपनी के जरिए भेजा था। आगे की जांच जारी है।

पेड़ गिरने से यातायात हुआ जाम...

भायंदर : भायंदर (पश्चिम) स्टेशन रोड़ स्थित बालाजी नगर के नाके पर अचानक पेड़ गिरने से यातायात जाम हो गया। यह पेड़ वहां पर खड़े एक ऑटो रिक्शा पर गिरा, जिससे रिक्शा पुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गमीनत यह रही की जिस वक्त यह पेड़ गिरा उस वक्त रिक्शा में कोई नहीं था। इस घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल के लोगों ने तुरंत घटना स्थल पर पहुंच कर पेड़ को काट कर यातायात शुरू किया। इस रास्ते पर सुबह से लेकर देर रात तक लोगों का आवागमन रहता है, इस घटना के वक्त सबसे अच्छी बात यह रही की कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया।

पानी चोरी का भंडाफोड़... प्लांबर इमरान शेख के खिलाफ मामला दर्ज



ठाणे : भिवंडी-निजामपुर शहर महानगर पालिका के जल आपूर्ति विभाग ने पानी चोरी और नगर पालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बार फिर शांति नगर के कुख्यात प्लांबर इमरान शेख पर शिकंजा कसा है। भरारी पथक के प्रमुख विराज भोईर के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के तहत प्लांबर

इमरान शेख के खिलाफ शांतिनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप है कि प्लांबर इमरान ने नगर पालिका की मुख्य जलवाहि- नी में अवैध रूप से छेद कर एक आधे इंच का नल कनेक्शन जोड़ा, जिससे न केवल 3,200 रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि 5,000 रुपये मूल्य का पानी भी चोरी किया गया।

ठाणे : 2030 में ट्रैफिक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया जाएगा

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे शहर के लिए छह साल पहले तैयार किए गए ट्रैफिक प्रारूप को पुनर्निर्धारित किया जाएगा। वर्ष 2018 में तैयार किया गया प्लान ट्रैफिक की मौजूदा स्थिति के लिए माकूल नहीं रह गया है। तब से अब तक शहर की ट्रैफिक स्थिति में बड़ा बदलाव हुआ है। इसके मद्देनजर ट्रैफिक प्रारूप में बदलाव कर उसे पुनर्निर्धारित किया जाएगा। मनपा आयुक्त सौरभ राव ने एक मीटिंग में यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 2030 में ट्रैफिक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया जाएगा। यह काम मुंबई आईआईटी करेगी। इस दौरान स्कूल बसों एवं अन्य



बसों के बढ़ते यातायात, ठोस अपशिष्ट (घन कचरा) के यातायात, इमारत और अन्य निर्माण कार्य के चलते ट्रैफिक पर पड़ने वाले भार आदि ट्रैफिक के बदले स्वरूप का विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ ही साइकिल ट्रैक, पैदल यात्री व्यवस्था सहित खाड़ी के माध्यम से होने वाले जल परिवहन, मेट्रो और रेलवे स्टेशन तक आने-जाने वाली ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग, तीन हात नाका पर होने वाली

भीड़भाड़ का अध्ययन कर उसमें होने वाले बदलाव के बारे में अध्ययन किया जाएगा। बता दें कि ठाणे मनपा क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ है। जनसंख्या वृद्धि के साथ शहर में वाहनों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा नवी मुंबई, रायगड के उरण स्थित जेएनपीटी बंदरगाह से नासिक, गुजरात की ओर आने-जाने वाले भारी वाहन ठाणे शहर से होकर गुजरते हैं। इसके चलते शहर के विभिन्न रास्तों पर अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। इसके साथ ही निमाणाधीन मेट्रो, रास्तों के चौड़ीकरण, मरम्मत आदि कार्यों के चलते ट्रैफिक पर और लोड बढ़ जाता है।

बोल बच्चन गैंग के दो आरोपी गिरफ्तार



भायंदर : भायंदर पुलिस ने बोल बच्चन गैंग के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर के उनके पास से 20 लाख का सोना बरामद किया है। यह दोनों आरोपी लोगों को अपनी बातों में उलझा कर उनके पास के कीमती सामान को चुरा लेते थे। इस मामले में डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने बताया की हालही में एक व्यक्ति के बैग से इन्होंने 375 ग्राम सोना बातों

में उलझा कर निकाल लिया था इस सोने की किमत 25 लाख है। जब उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हुआ तो उसने भायंदर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस की टीम ने काफी सारे सीसीटीवी कैमरों की जांच करके इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी पुलिस का मुखबिर है। आरोपियों पर नवघर एवं थाने में मिला कर कुल पांच अपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपियों के पास से 300 ग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी किमत 20 लाख है।

मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को परियोजनाओं से खतरा

मुंबई : मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) से मिलने वाले पारिस्थितिक लाभों का मुद्दीकरण किया जाए, तो यह देश के सबसे अमीर नागरिक निकाय बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के बजट से भी अधिक होगा। एसजीएनपी के पारिस्थितिक लाभ बीएमसी के बजट से भी अधिक हैं: हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "इस न्यायालय में



बैठा कोई भी व्यक्ति इसे जाने नहीं दे सकता है।" याचिका में राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के भीतर रहने वाले झुग्गीवासियों के चरणबद्ध पुनर्वास से संबंधित न्यायालय के पहले के आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया

है कि चल रही कई परियोजनाओं से पार्क के अस्तित्व को खतरा है। एसजीएनपी, भारत में शहरी महानगर की नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें लगभग 86,000 झुग्गीयाँ हैं, जिनमें से अधिकांश आदिवासी

समुदायों से हैं, जो बिखरे हुए गाँवों में रहते हैं। 1995 में, पर्यावरण पर केंद्रित एक गैर-लाभकारी संस्था कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एसजीएनपी से अतिक्रमणकारियों और अवैध संरचनाओं को हटाने की मांग की गई थी। न्यायालय ने 1997 में एक अंतरिम आदेश और 2003 में अंतिम आदेश पारित किया था, जिसमें कल्याण के पास शिरडन में वन विभाग द्वारा पहचाने गए स्थल पर अतिक्रमणों को हटाने और पात्र अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास का निर्देश दिया गया था।